61

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ , जिला जयपुर

बइजलास श्री नरेन्द्र कुमार मीना R.A.S

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
290/2014	08/12/2014	05/02/2018

–उनवान –

1. रमेश पुत्र मूलचन्द आयु 56 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

...............वादी

बनाम

1. सन्तरा देवी पत्नि स्व0 लालचन्द आयु 63 वर्ष जाति जैन निवासी ग्राम खराणा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

रामधन पुत्र श्योदान आयु 45 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।

3. सुन्डादेवी पुत्र रामधन आयु 40 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम खवारानीजी तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर राजस्थान।
5. सन्तोषदेवी पत्नि कैलाशचन्द आयु लगभग 38 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम निम्बी , तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

.......................प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील वादी

श्री रामस्वरूप शर्मा :– वकील प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटंवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी ने एक वाद बाबत् तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 2.1700 हैक्टयर ग्राम खराना में स्थित हैं । जिसमे वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 सहखातेदार हैं।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 डिकी फरमाया जाकर भूमि विवादित खसरा नम्बर 12 रकबा 2.1700 हैक्टेयर ग्राम खराना का कब्जे काश्त को ध्यान में रख सरस – नसर के अनुसार तकासमा कर वादी का राजस्व रिकॉर्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण कि तलबी कि गई दिनांक 16/01/2015 को प्रतिवादी संख्या 1 कि ओर से एकडवोके राजेन्द्र जैन ने अण्डरटेकिंग दी ।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ (जयपुर)

68

अतः प्राथमिक डिक्री हेतु लोक अदालत खरकडा में प्रतिवादी सं. 1 ने सरस नरस के अनुसार तकासमा करवाने को सहमत हो गई तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सरस नरस के अनुसार वादी के वाद को प्राथमिक डिकी किया जाता हैं तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि वे कुर्रेजात के प्रस्ताव तैयार कर , कुर्रेजात रिर्पोट तीन – तीन प्रतियों में अलग – अलग रंग भरकर मय नक्शा ट्रेस के भिजवाना सुनिश्चित करें तथा अन्तिम डिकी जारी होने तक मौके कि यथास्थिती बनाये रखे । खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेगें। प्राथमिक डिकी जारी हो। निर्णय एवं डिकी की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे ।

अतः दिनांक 29–06–2015 को वाद में प्राथमिक डिकी जारी कि जाकर तहसीलदार जमवारामगढ़ को कर्रेजात हेतु लिखा गया जिसमे दिनांक 16–01–2017 को आदेशानुसार तहसीलदार जमवारामगढ़ द्वारा कुर्रेजात रिर्पोट पेश की गई। दिनांक 2/3/2017 को अधिवक्त रामस्वरूप शर्मा ने एक प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 का पेश किया उक्त प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 स्वीकार किया गया दिनांक 9/03/2017 को वकील वादी ने संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 23/06/2017 को पटवारी हल्का ने अपनी रिर्पोट में अंकित किया कि प्रतिवादी सं. 1 ने अपने हिस्से कि भूमि का बैचान प्रतिवादी सं. 5 को कर दिया हैं अतः पूर्व में प्रस्तुत कुर्रेजात में प्रतिवादी सं. 1 के स्थान पर प्रतिवादी सं. 5 का नाम एवं हिस्सा अंकित कर पढ़ा जावे जिस पर प्रतिवादी सं. 5 कि ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात सही होना स्वीकार किया जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। कमीश्नर के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, कमिश्नर के द्वारा बटवारा कर बटवारा रिर्पोट प्रस्तुत की। कमिश्नर ने बटवारा हिस्से अनुसार किया । अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता ग्राम खराना तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 12 रकबा 2.1700 हैक्टयर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिर्पोट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता हैं। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता हैं।

खाता सख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	आराजी नम्बर	हैक्टेयर	लगान
	रामधन पुत्र श्योदान कोम मीना सा0 खवॉरानीजी	12/1	0.6200	14.26

खाता संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	आराजी नम्बर	हैक्टेयर	लगान
	श्रीमती सून्डा देवी पत्नि रामधन कौम मीना सा0 खवारानीजी खातेदार	12/3	0.3100	7.13

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

69

खाता संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	आराजी नम्बर	हैक्टेयर	लगान
	श्रीमती सन्तोष देवी पत्नि कैलाश चन्द कौम गुर्जर सा0 निम्बी खातेदार	12/2	0.6200	14.26

खाता संख्या	नाम प्रस्तावित खातेदार	आराजी नम्बर	हैक्टेयर	लगान
	रमेश चन्द पुत्र मूलचन्द कौम महाजन सा0 खवारानीजी खातेदार	12/4	0.6200	14.28

मौके पर खातेदारान की उपस्थिती में कब्जे एवं हिस्से अनुसार निम्न प्रकार बटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया।

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकॉर्ड में अलग – अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता हैं कि वादी के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हैं।

निर्णय आज दिनांक 05 फरवरी 2018 को मैरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ - जमवारामगढ़